खंड 17 संख्या 20

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि 21 जुलाई, 1976।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—4	1-14
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1363, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1850, 1851, 1854, 1855, 1857, 1861, 1863, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1876, 1877, 1881, 1887, 1890, 1891, 1893, 1904, 1909, 1912, 1920, 1943।	15-59
दैनिक निबंध	61-62

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

के लिए सराहनीय कार्य किया है। इस वर्ष जिला स्तर पर अन्तर विद्यालय फुटबॉल की प्रतियोगिता के लिए शिक्षा मंत्री शील्ड एवं राज्य स्तर पर अन्तर जिला प्रतियोगिता के लिए मुख्य मंत्री के पदनाम से शील्ड चलाया जा रहा है। इसका कार्य प्रारम्भ हो गया है और खेलकूद का कार्य मार्च तक चलेगा। इन सब परिस्थितियों के आलोक में अभी किसी भी उपाधीक्षक का स्थानान्तरण नहीं करने का विचार है।

प्रोन्नति की सुविधा।

1866. श्री टीका राम मांझी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्र संख्या 621, दिनांक 4 मार्च, 1974 के द्वारा नेतरहाट विद्यालय के राजपत्रित सहायक शिक्षकों को बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 में प्रोन्नति की सुविधा दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्र संख्या 3514, दिनांक 28 अक्तूबर, 1975 द्वारा उपर्युक्त पूर्वादेश को विलोपित कर दिया गया है; यदि हाँ, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। आदेश संख्या 621, दिनांक 4 मार्च, 1974 में यह निर्णय लिया गया कि बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 की सामान्य शाखा में जब रिक्ति हो और उन्हें प्रोन्नति द्वारा भरने का निर्णय लिया जाय तो शिक्षा सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों के साथ नेतरहाट विद्यालय के सह-शिक्षकों, जो बिहार शिक्षा सेवा के वर्ग-2 के वाह्य संवर्ग में हैं, की आपसी वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-1 में प्रोन्नति पर विचार किया जायगा।

बाद में पुनः सावधानीपूर्वक विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि चूँकि नेतरहाट विद्यालय के सह-शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विभिन्न विषयों में विशिष्ट अर्हता वांछनीय है तथा इनकी नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय के लिए ही होती है, अतः इनका अन्यत्र पदस्थापन करना युक्तिसंगत नहीं होगा। तदनुसार आदेश संख्या 3514, दिनांक 28 अक्तूबर, 1975 के द्वारा पूर्व के आदेश संख्या 621, दिनांक 4 मार्च, 1974 को विलोपित कर दिया गया।